

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 146/2016 अंतर्गत धारा-76 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2016/00125)

अनवान:

बलवंत राय पुत्र मनफुलराम निवासी 7 एस, किकरवाली, तहसील करनपुर
जिला श्रीगंगानगर वगैरह।


बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरनपुर व सोहनलाल पुत्र दयाला
राम जसाना तहसील नोहर जिला श्रीकरनपुर वगैरह।

29.10.21

अभिभाषक अपीलांत श्री विजय भादाणी उपस्थित। अभिभाषक
अपीलांत ने निवेदन किया है कि उपरोक्त अनवान की अपील को आगे
चलाना नहीं चाहते है। अतः उक्त अपील NOT PRESS के आधार पर
खारिज कराना चाहते है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक
06.09.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र के अनुसार अभिभाषक इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं
NOT PRESS के आधार पर खारिज कराना चाहते है। अतः यह अपील
जरिये NOT PRESS इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधिनस्थ
न्यायालय का रिकार्ड एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील
नंबर से कम होकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।
आदेश सुनाया गया।


संभागीय आयुक्त
बीकानेर